UPME010091102026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट, मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3220 सन् 2026

योगेश बंसल उर्फ बैंसला पुत्र विजय कुमार, निवासी–ग्राम ख्वाजापुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन।

सत्र वाद संख्या–108/2026

मु0अ0सं0–168/2025

धारा–115(2), 352, 351(2),191(2),191(3) बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट,

थाना–मैडिकल कालिज, जिला–मेरठ।

दिनांकः 07.07.2026

1. अभियुक्त योगेश बंसल उर्फ बैंसला पुत्र विजय कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त को सत्र वाद संख्या–108/2026, मु0अ0सं0–168/2025,धारा–115(2), 352, 351(2),191(2),191(3) बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–मैडिकल कालिज, जिला मेरठ के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शुभम द्वारा थाना मैडिकल कालिज, मेरठ पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि –प्रार्थी का भाई अमन पुत्र वेदप्रकाश निवासी पीर वाली गली शेरगढ़ी, शास्त्री नगर, थाना मैडिकल कालिज तोमर हॉस्पिटल में ओ0 टी0 स्ऑफ के तौर पर कार्यरत हे। दिनांक 15.05.2025 को प्रातः 8:50 बजे ठेके के पास जागृति विहार सैक्टर 5 थाना मैडिकल मेरठ पर प्रार्थी के भाई अमन के साथ अभिषेक तथा उसके अन्य साथियों ने लाठी डंडे से मारपीट की गाली गलौंच तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। अतः रिपोर्ट लिखकर विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उक्त मुकदमे में झूठा व रंजीशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त थाने से जमानत पर है। अभियुक्त छात्र है जो पढ़ाई के साथ अपने परिवार के भरण पोषण हेतु नौकरी करता है। अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की है न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है। कथित घटना झूठी व फर्जी है। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने अथवा गवाहान को धमकाने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि में उचित जमानत देने के लिये तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई के साथ मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अंतरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं व अन्य सभी धारायें सात वर्ष तक दंडनीय है। सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० 2021(226) ए०आई०सी० 259 (एस०सी०) में प्रतिपादित सिद्धांत तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त योगेश बंसल उर्फ बैंसला पुत्र विजय कुमार की ओर से सत्र वाद संख्या–108/2026, मु0अ0सं0–168/2025,धारा–115(2), 352, 351(2),191(2),191(3) बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–मैडिकल कालिज, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा रूपया 25000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनाकः 07.07.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.07.07 16:51:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court